CMAR

CITY MANAGERS' ASSOCIATION RAJASTHAN

e newsletter

issue 25th Sep., 2016

Promoting Excellence In City Management...

CMAR e-Newsletter Issue 25th September, 2016

Editor in Chief:	**Shri Purushottam Biyani (IAS)** (Director cum Special Secretary, LSGD, GoR)
Editorial & Compilation:	**Dr. Himani Tiwari** (Coordinator, CMAR) **Mr. Sharawan Kumar Sejoo** (Research Assistant, CMAR)
Digital Typesetting:	**Mr. Arjun Pal** (IT Expert, CMAR)
CMAR Team:	**Mr. Sandeep Nama** (Research Investigator, CMAR) **Mr. Sitaram Verma** (Assistant, CMAR)

Our sincere thanks to:

Smt. Sanchita Bishnoi (RAS)	(Add. Director, Directorate of Local Bodies, Rajasthan)
Smt. Preeti Mathur (RAS)	(Dy. Director (Administration), Directorate of Local Bodies, Rajasthan)
Shri Hulas Ray Pawar (R.Ac.S)	(Chief Account Officer, Directorate of Local Bodies, Rajasthan)
Smt. Madhu Rathore (R.Ac.S.)	(Sr. Account Officer, Directorate of Local Bodies, Rajasthan)
Shri R.K. Vijayvargia	(Sr. Town Planner, Directorate of Local Bodies, Rajasthan)
Shri Brijesh Pareek	(PRO, Directorate of Local Bodies, Rajasthan)

For suggestions/feedback please write to:

City Managers' Association Rajasthan, Room No. 410, Directorate of Local Bodies

G-3 Rajmahal Residency, Near Civil Lines, Railway Crossing, Jaipur - 302015,

Telefax: 0141-2229966, website: www.cmar-india.org, Email: cmar.rajasthan@gmail.com

Electronic version of this newsletter is also available on CMAR's website at: http://cmar-india.org/

Contents

मुख्यमंत्री से यूएसटीडीए के प्रतिनिधिमण्डल ने की मुलाकात	1
हिंगोनिया गौ पुनर्वास केन्द्र के लिए हुआ एम.ओ.यू.	2
प्रदेश के समस्त नगरीय निकाय क्षेत्रों में 02 अक्टूबर से 28 अक्टूबर, 2016 की अवधि में ''विशेष स्वच्छ नगर अभियान'' प्रारम्भ	4
अजमेर एवं कोटा स्मार्ट सिटीज की सूची में शामिल	7
मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (शहरी), स्वच्छ सर्वेक्षण–2017 एवं विशेष स्वच्छ नगर अभियान विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन	8
स्वायत्त शासन विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के मध्य कन्वरजेन्स कार्यशाला का आयोजन	12

मुख्यमंत्री से यूएसटीडीए के प्रतिनिधिमण्डल ने की मुलाकात

मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने 01 सितम्बर, 2016 को विधानसभा में यूनाईटेड स्टेट्स ट्रेड एण्ड डवलपमेंट एजेंसी (यूएसटीडीए) की निदेशक सुश्री लियोकेडिया आई.जेक की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमण्डल ने मुलाकत की। प्रतिनिधिमण्डल ने मुख्यमंत्री को 1900 करोड़ रूपये की लागत से अजमेर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए केन्द्र सरकार को भेजे गए प्रस्ताव के बारे में जानकारी दी।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि शहरों को सही मायने में स्मार्ट सिटी बनाने के लिए आमजन की इसमें सहभागिता बहुत आवश्यक है। उन्होनें कहा कि स्मार्ट सिटी के लिए चयनित शहरों में पहले एक क्षेत्र में सड़क, सीवरेज, बिजली, पानी सहित अन्य नागरिक सुविधिाओं का स्मार्ट सिटी मानकों की दृष्टि से विकास किया जाए। इसके बाद, इसी तर्ज पर पूरे शहर का किया जाए।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान सरकार की यूएसटीडीए के बीच गत वर्ष एमओयू हुआ था, जिसके अनुसार यह अमरीकी एजेंसी अजमेर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का ब्लू प्रिंट तैयार करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान कर रही है।

इस दौरान प्रमुख शासन सचिव स्वायत्त शासन डॉ मनजीत सिंह भी उपस्थित थे। प्रतिनिधिमण्डल में यूएसटीडीए के चीफ ऑफ स्टाफ डेविन है पटन, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रीय निदेशक श्री हेनरी स्टेइंगास, कन्ट्री मैनेजर हिदर लेनिगन, कन्ट्री रिप्रजेंटेटिव मेहनाज अंसारी, अमरीकी दूतावास के नार्थ इण्डिया कॉर्डिनेटर श्री जोनाथन केसलर एवं यूएसटीडीए ने नगरीय नियोजन विशेषज्ञ श्री महेश बाघधरे शामिल थे।

हिंगोनिया गौ पुनर्वास केन्द्र के लिए हुआ एम.ओ.यू

हिंगोनिया गौ पुनर्वास केन्द्र के बेहतर रख–रखाव के लिए बुधवार को सांयकाल स्वायत्त शासन भवन में स्वायत्त शासन मंत्री श्री राजपाल सिंह शेखावत एवं सार्वजनिक निर्माण मंत्री श्री युनूस खान की उपस्थित में नगर निगम जयपुर की ओर से महापौर श्री निर्मल नाहटा, आयुक्त श्री हेमन्त कुमार गेरा तथा हरे कृष्णा मूवमेंट (अक्षय पात्र) के अध्यक्ष श्री गोविन्द दास (रधुनाथ पंवार) द्वारा एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किये गये।

हिंगोनिया गौ पुनर्वास केन्द्र के बेहतर रखरखाव के लिए नगर निगम जयपुर द्वारा हरे कृष्णा मूवमेंट (अक्षय पात्र) के साथ किया गया एम.ओ.यू. 1 अक्टूबर 2016 से लागू होगा। इस एम.ओ.यू. के प्रथम छः माह के पश्चात इस एम.ओ.यू. की समीक्षा की जायेगी तथा व्यवस्थाओं में सुधार पाये जाने पर आगामी 19 साल के लिए एम.ओ.यू. की अवधि बढ़ाई जायेगी। प्रथम छः माह में नगर निगम जयपुर एवं हरे कृष्णा मूवमेंट (अक्षय पात्र) द्वारा एक ट्रस्ट का गठन किया जायेगा। जिसमें राज्य सरकार की ओर से नगर निगम जयपुर के अतिरिक्त आयुक्त एवं उपनिदेशक पशुपालन विभाग सदस्य होंग। हिंगोनिया गौ पुनर्वास केन्द्र का प्रत्येक तीन माह में हरे कृष्णा मूवमेंट (अक्षय पात्र) द्वारा संयुक्त रूप से विशेषज्ञों के माध्यम से मुल्यांकन करवाया जायेगा। एम.ओ.यू. में मुख्य रूप से जिन बिन्दुओं का उल्लेख है उनमें वर्तमान में हिंगोनिया पशु पुनर्वास केन्द्र में जारी हॉस्पिटल/पॉली क्लिनिक पशुपालन विभाग की ओर से आगे भी संचालित रहेगा, साथ ही नगर निगम जयपुर द्वारा गाय पकड़ने व छोड़ने की प्रक्रिया यथावत रहेगी।

एम.ओ.यू. में बताया गया है कि हरे कृष्णा मूवमेंट (अक्षय पात्र) द्वारा गायों की देख–रेख व रखरखाव का कार्य किया जायेगा। इस कार्य के लिए नगर निगम की और से हरे कृष्णा मूवमेंट (अक्षय पात्र) को प्रतिदिन बड़े पशु के 70 रूपये एवं छोटे पशु के 35 रूपये देय होगा। हिंगोनिया पशु पुनर्वास केन्द्र में हरे कृष्णा मूवमेंट (अक्षय पात्र) द्वारा गायों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए हरा

चारा उगाया जायेगा तथा उन्ही के द्वारा पुनर्वास केन्द्र में बायो गैस संयंत्र भी लगाया जायेगा एवं चारा, वाहनों एवं पुनर्वास केन्द्र में कार्य करने वाली व्यक्तियों (लेबर) की व्यवस्था भी की जायेगी।

हरे कृष्णा मूवमेंट (अक्षय पात्र) द्वारा हिंगोनिया गौ पुनर्वास केन्द्र में मृत गायों के निस्तारण के लिए कारकस प्लान्ट भी लगाया जायेगा। इस अवसर पर स्वायत्त शासन मंत्री श्री राजपाल सिंह शेखावत ने कहा कि हरे कृष्णा मूवमेंट (अक्षय पात्र) एक सेवा भावी संस्थान है हमें विश्वास है कि इसके द्वारा गायों के रखरखाव की बेहतर व्यवस्थाएं की जायेगी। उन्होंन ने बताया कि पूर्व सरकार के समय हिंगोनिया गौ पुनर्वास केन्द्र में गायों की मृत्यु दर लगभग 22 प्रतिशत थी। जिससे नगर निगम जयपुर द्वारा बेहतर प्रयासों के माध्यम से अत्यधिक कम किया गया।

नगर निगम जयपुर के महापौर श्री निर्मल नाहटा ने इस अवसर पर कहा कि नगर निगम जयपुर एवं हरे कृष्णा मूवमेंट (अक्षय पात्र) द्वारा गौशाला पुनवास केन्द्र की बेहतरी के लिए यह एम.ओ.यू. किया गया है। उन्होनें बताया कि पूर्ण पारर्दशिता के साथ यह एम.ओ.यू. किया गया है एवं इसके बेहतर परिणाम आयेंगे। उन्होने बताया कि एम.ओ.यू. में गौ पुनर्वास केन्द्र की भूमि का स्वामित्व नगर निगम जयपुर का ही रहेगा तथा समय पर गौ पुनर्वास केन्द्र की व्यवस्थाओं की समीक्षा की जायेगी।

हरे कृष्णा मूवमेंट (अक्षय पात्र) के अध्यक्ष श्री गोविन्द दास द्वारा बताया गया कि पूर्ण सेवा भाव के साथ गायों की सेवा की जायेगी। वर्तमान में उनके पास 100 से अधिक मिशनरी एवं हजारों कार्यकर्ता है। जो कि गौ सेवा पुनर्वास केन्द्र में आकर गायों की सेवा करेंगे। उन्होंन बताया कि गौ पुनर्वास केन्द्र के 23 बाड़ों को जयपुर शहर के विभिन्न समाजों से जोड़ा जायेगा एवं उन्हें इसके रखरखाव की जिम्मेदारी दी जायेगी। उन्होने बताया कि आने वाले समय में गौ पुनर्वास केन्द्र एक बेहतर रमणीक स्थल के रूप में विकसित होगा। उन्होंने यह भी बताया कि गौ पुनर्वास केन्द्र में नगर निगम जयपुर द्वारा जारी पूर्व योजनाओं को बंद नहीं किया जायेगा।

प्रदेश के समस्त नगरीय निकाय क्षेत्रों में 02 अक्टूबर से 28 अक्टूबर, 2016 की अवधि में "विशेष स्वच्छ नगर अभियान" प्रारम्भ

स्वच्छता को व्यवहार में लाये इसे एक आदत बनाये। इस आम धारणा को दूर करें कि स्वच्छता अभियान के दौरान ही होगी। स्वच्छता रखना सभी नागरिको का दायित्व है। इसे सरकारी प्रयासों न जोड़े अभियान के दौरान स्वच्छता को गति प्रदान की जाती है।

02 अक्टूबर को प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालय में स्वच्छ नगर अभियान के तहत गोष्ठियों बैठकों के आयोजन के साथ कार्यालयो में स्वच्छता का कार्य भी किया जायेगा।

यह उद्गार प्रदेश के मुख्य सचिव श्री ओ.पी. मीणा ने बुधवार प्रातः 10:00 बजे सभी जिला कलेक्टरों के साथ स्वच्छ भारत मिशन के तहत 02 अक्टूबर से 28 अक्टूबर, 2016 तक आयोजित होने वाले स्वच्छ नगर अभियान के लिये आयोजित विडियों कांफ्रेसिंग के दौरान व्यक्त किये। इस अवसर पर प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग डॉ. मनजीत सिंह, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव श्री पुरूषोत्तम बियाणी, नगर निगम जयपुर के आयुक्त श्री हेमन्त गैरा, मुख्य अभियन्ता श्री के.के. शर्मा, नगर निगम जयपुर के मुख्य अभियन्ता श्री सुभाष गुप्ता एवं विडियों कांफ्रेसिंग के माध्यम से जुड़े सभी जिला कलेक्टर उपस्थित थे।

विडियो कांफ्रेसिंग में मुख्य सचिव श्री ओ.पी. मीणा ने निर्देश दिये कि 02 अक्टूबर से जारी हुए स्वच्छ नगर अभियान के दौरान सभी नगरीय निकायों में प्रमुख स्थानों के साथ–साथ हॉस्पिटल, बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन, पर्यटक स्थलों शहर के एन्ट्री पॉईन्ट्स आदि की सफाई की जाये एवं इन्हे सफाई का मॉडल बनाये। उन्होनें कहा कि इस दौरान सामुदायिक केन्द्रो, सामुदायिक सफाई केन्द्रो, सार्वजनिक शौचालय/मुत्रलयों की सफाई की जाये एवं इनकी निरंतन मॉनिटरिंग की जाये। उन्होनें बताया कि प्रायः यह देखा जाता है कि सभी नगरीय निकायों में प्रातः 10–11 बजे तक सफाई चलती रहती है। इस दौरान नगरीय निकायों के मुख्य मार्गो एवं सड़को पर आवागमन प्रारम्भ हो चुका होता है तथा भीड़ हो जाती है। जिससे स्वच्छता कार्य में अवरोध पैदा होता है। स्वायत्त शासन विभाग एवं सभी नगरीय निकायों को यह तय करना होगा कि प्रतिदिन प्रातःकालीन समय में सफाई कार्य निर्वाध रूप से सम्पादित हो सके। उन्होनें कहा कि आम धारण यह है कि अभियान के दौरान ही सफाई का कार्य होगा। आम नागरिकों की इस धारणा को

आवश्यक रूप से दूर किया जाये। स्वच्छता रखना सभी नागरिको का दायित्व है। इसे सरकारी प्रयासों न जोड़े अभियान के दौरान स्वच्छता को गति प्रदान की जाती है। उन्होनें बताया कि मध्यप्रदेश के भोपाल

सहित कुछ शहरों में प्लास्टिक कैरी बैग्स पर प्रभावी रोकथाम लगायी गयी है एवं इस कार्य में नागरिकों के साथ–साथ स्वयं सेवी संस्थाओं को जोड़ा गया है। उन्होनें कहा कि प्रदेश में किसी भी प्रकार के प्लास्टिक कैरी बैग्स के उत्पादन विपणन उपयोग पर पूर्ण रूप से रोक लगी हुई है। हमें यह देखना होगा कि जब प्रदेश में इनका उत्पादन नहीं हो रहा तो यह कहॉ से आ रहे है। और यदि उत्पादन हो रहा है तो उत्पादन करने वाली ईकाई के विरूद्ध सख्ती से कार्यवाही करनी होगी। प्रमुख शासन सचिव, डॉ. मनजीत सिंह ने निर्देश दिये कि 02 अक्टूबर से सभी नगरीय निकायों में स्वच्छ भारत मिशन के तहत आयोजित स्वच्छ नगर अभियान के तहत स्वच्छता के साथ–साथ आमजन जनजागृति के प्रभात फेरियों गोष्ठियों का आयोजन क्षैत्रिय जनप्रतिनिधियों की अध्यक्षता/उपस्थिति में किया जाये। उन्होनें बताया कि सम्पूर्ण प्रदेश में यह अभियान 28 अक्टूबर तक चलेगा। परन्तु जयपुर में अभियान अवधि 15 नवम्बर तक निर्धारित की गई है। उन्होनें जिला कलेक्टरों को निर्देश दिये कि अभियान से सभी जनप्रतिनिधियों, वार्ड पार्षदों, कॉलेज, स्कूल के विद्यार्थीयों, एन.सी.सी. स्काउट्स केडिट्सो, धार्मिक सामाजिक, वाणिज्यिक संस्थाओं, गैर सरकारी संस्थाओं, मौहल्ला विकास समितियों नागरिक संगठनों आदि को आवश्यक रूप से जोड़ा जाये एवं इन्हें आवश्यक जिम्मेदारिया दी जाये। इस दौरान छात्र–छात्रओं के मध्य स्वच्छता के लिये प्रतिस्पर्धा पैदा करने के लिए गोष्ठियों प्रभात फेरियों, चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाये।

विडियों कांफ्रेसिंग के दौरान सभी जिला कलेक्टर्स ने अपने–अपने जिलो में स्थित नगरीय निकायों में अभियान को लेकर किये जा रहे विभिन्न कार्यो की विस्तार से जानकारी दी। सभी ने बताया कि उनके यहाँ स्वच्छ नगर अभियान के दौरान सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा रही है। इसी प्रकार प्लास्टिक बैग्स पर प्रभावी रोकथाम के लिए दलों का गठन कर जब्ती की कार्यवाही की जा रही है। आवारा पशुओं को पकड़ा जा रहा है। निदेशक स्थानीय निकाय विभाग श्री पुरूषोत्तम बियाणी ने भी सभी नगरीय निकायो को निर्देश दिये कि वे स्वच्छ

नगर अभियान के दौरान स्थानीय सामाजिक एवं धार्मिक संगठनो के प्रभावी प्रतिनिधियों जिनकी समाज में पैठ हो का सहयोग भी लिया जाये, जिससे अभियान की सफलता सुनिश्चित हो सके।

जयपुर में स्वच्छ नगर अभियान – विडियों कांफ्रेसिंग के दौरान नगर निगम जयपुर के आयुक्त श्री हेमन्त गैरा ने बताया कि जयपुर शहर में स्वच्छ नगर अभियान को सफल बनाने के लिए अभियान को दौ भागों में बांटा गया है। अभियान के दौरान शहर के प्रत्येक वार्ड की सफाई की जिम्मेदारी नगर निगम के एक–एक वरिष्ठ अधिकारी को सौंपी गई है। यह अधिकारी क्षैत्रिय जनप्रतिनिधि के साथ मिलकर वार्ड की सफाई व्यवस्था को व्यवस्थित करेगा। उन्होनें बताया कि शहर के सभी वार्डो में जहॉ–जहॉ मलबा पड़ा है उन स्थानों का चिन्हिकरण किया जाकर मलबा उठाना शुरू कर दिया है। सम्पत्ति विरूपण के मामलों में अवैध रूप से की गई। वॉल पेन्टिंग एवं पोस्टरों को हटाने तथा लगाने वालों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करवाने के लिए टीमों का गठन किया गया है। आवारा पशुओं एवं अवैध डेरियों को हटाया जा रहा है। अस्थाई अतिक्रमण को हटाने का कार्य 8 टीमों के माध्यम से किया जा रहा है तथा सम्पूर्ण शहर में प्रमुख स्थान पर नाईट स्विपिंग शुरू की गई है। चार दिवारी के भीतर गलियों की सफाई का कार्य दिपावली से पूर्व पूरा हो जायेगा। शहर में जिला प्रशासन के सहयोग से 135 क्विंटन पॉलिथीन की थैलियॉ पकड़ी जाकर उनके विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है। शहर के सभी वार्डो में 10–10 स्थानों का चयन किया गया है जहॉ पर दोपहर की पारी में सफाई की जायेगी। कचरा लिफ्टिंग का कार्य दो पारियों में किया जायेगा एवं टूटी नालियों फैरो कवर की मरम्मत भी प्रारम्भ कर दी गई है तथा सड़को के पेच वर्क का कार्य 15 अक्टूबर तक पूर्ण हो जाएगा। सभी वार्डो में वार्ड पार्षदों से सम्बन्धित जोन के उपायुक्त संपर्क कर अभियान में उनका सहयोग लेंगे। अभियान के दौरान पार्को और हॉस्पिटल, सामुदायिक केन्द्रो, सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों/मुत्रालयों की सफाई एवं कीटनाशक दवा के छिड़कने का कार्य भी किया जायेगा।

अजमेर एवं कोटा स्मार्ट सिटीज की सूची में शामिल

अजमेर एवं कोटा शहर को केन्द्र सरकार द्वारा मंगलवार को घोषित की गई 27 नई स्मार्ट सिटीज की सूची में शामिल किया गया है। उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार द्वारा देश में 100 नए स्मार्ट शहर बनाने की घोषणा के तहत् अब तक 60 स्मार्ट सिटीज के नाम जारी हुए है। केन्द्रीय नगरीय विकास मंत्री श्री वैंकेया नायडु ने नई दिल्ली में मंगलवार को नई स्मार्ट सिटीज की तीसरी सूची जारी करते हुए बताया कि पहली सूची में राज्य के दो शहरों जयपुर एवं उदयपुर को पहले ही शामिल किया जा चुका है।

उन्होंने बताया कि तीसरी सूची में शामिल हुए 27 नई स्मार्ट शहरों के चुनाव के लिए देश के 63 मिशन शहरों ने प्रतिस्पर्द्धा में भाग लिया था। चयनित शहरों में 66 हजार 883 करोड़ रुपये का निवेश होना प्रस्तावित है। नई स्मार्ट सिटीज की घोषणा के समय केन्द्रीय नगरीय विकास राज्यमंत्री श्री राव इन्द्रजीत सिंह, केन्द्रीय नगरीय विकास सचिव श्री राजीव गाबा एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण भी मौजूद थे। अजमेर में 1947 एवं कोटा में 1455 करोड़ रुपये शहरों के विकास पर व्यय होगाराजस्थान की दो नई स्मार्ट सिटीज अजमेर में 1947 एवं कोटा में 1455 करोड़ रुपये अगले पांच वर्षो में विकास के व्यय होगें। यह जानकारी राजस्थान के स्थानीय निकाय विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. मंजीत सिंह ने नई दिल्ली में दी। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा घोषित किए जाने वाले कुल 100 स्मार्ट सिटीज में से अब तक घोषित किए गये 60 शहरों में राजस्थान द्वारा प्रस्तावित चारों शहरों यानि शत–प्रतिशत चुनाव हो गया है।

उल्लेखनीय है कि मंगलवार को घोषित तीसरी सूची में अजमेर एवं कोटा शहरों सें पूर्व स्मार्ट सिटीज की पहली सूची में जयपुर एवं उदयपुर शहरों के नाम घोषित किए गये थे। डॉ. मंजीत सिंह ने बताया कि अजमेर एवं कोटा शहरों के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा 500–500 करोड़ रुपये और इतनी ही राशि राज्य सरकार द्वारा व्यय करना प्रस्तावित है।

मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (शहरी), स्वच्छ सर्वेक्षण-2017 एवं विशेष स्वच्छ नगर अभियान विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन

कार्यो के प्रति प्रतिबद्धता, कार्यो की सफलता को निर्धारित करती है। जब तक किसी कार्य के लिए प्रतिबद्धता एवं प्रेरणा नही होगी तब तक कार्य सम्पादित नहीं हो सकता। ''जल है तो कल है'' तथा ''जल का विकल्प मात्र जल ही है'' क्योंकि जीवन के लिये हर आवश्यक वस्तु का विकल्प हो सकता है, लेकिन पानी का कोई विकल्प नहीं है। यह उद्‌गार स्वायत्त शासन मंत्री श्री राजपाल सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (MJSA Urban), स्वच्छ सर्वेक्षण–2017 एवं विशेष स्वच्छ नगर अभियान विषय पर इंदिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जवाहर लाल नेहरू मार्ग मे आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला के शुभारंभ के अवसर पर व्यक्त किये।

कार्यशाला के शुभारंभ पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए स्वायत्त शासन मंत्री श्री राजपाल सिंह शेखावत ने कहा कि कार्यो के प्रति प्रतिबद्धता, कार्यो की सफलता को निर्धारित करती है। जब तक किसी कार्य के लिए प्रतिबद्धता एवं प्रेरणा नही होगी तब तक कार्य सम्पादित नहीं हो सकता। उन्होनें कहा कि कार्यशालाओं का आयोजन तभी सार्थक होगा जबकि अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि इनसे कोई प्रेरणा लें एवं अपनी प्रतिबद्धता निर्धारित करें। उन्होनें कहा कि ''जल है तो कल है'' तथा ''जल का विकल्प मात्र जल ही है'' क्योंकि जीवन के लिये हर आवश्यक वस्तु का विकल्प हो सकता है, लेकिन जल का कोई विकल्प नहीं है। आज प्रदेश का 60 प्रतिशत हिस्सा जल की दृष्टि से डार्क जोन में है। यह एक ऐसा विषय है जिसके बारे में प्रदेश का हर व्यक्ति जानता है कि जल का बचाव कैसे किया जाये देश की आजादी से अब तक अनेकों एनिकट, तालाब एवं बांध सुखे पड़े है। भूजल भी रिचार्ज नहीं हो रहा है। आम इंसान के जीवन में जल एवं पर्यावरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी भूमिका के चलते हुए जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई है। वे सब नदियों के आस–पास विकसित हुई है। चाहे वह मोहन जोदड़ो हो हड़प्पा हो या सिन्धु घाटी की सभ्यता। हमें जल की समस्या का निराकरण सामाजिक स्तर पर करना होगा। हमारे धर्मो में बावड़ी, तालाब के निर्माण को पुण्य का कार्य बताया है तथा इनके

नजदीक मंदिरों का निर्माण इसलिए किया गया है कि ये पवित्र एवं स्वच्छ रहे तथा इनका निरंतर संरक्षण हो सकें। हमारी जिम्मेदारी है कि हम भूजल स्तर को ऊँचा उठाने के लिए निरंतर ईमानदारी से कार्य करें। इस कार्य को किसी कानून की परिधी में नहीं बांधा जा सकता है।

उन्होनें स्वच्छ भारत मिशन के तहत किये जा रहे कार्यो को लेकर कहा कि जब डूंगरपुर खुले में शौच मुक्त घोषित हो सकता है, तो जयपुर क्यों नहीं? उन्होंने कहा कि सभी को एक साल के लिए यह कमिटमेंट करना होगा कि वे अपने–अपने क्षेत्र को खुले में शौच मुक्त बनायेंगे तब ही यह कार्य संभव है। सभी को अपने–अपने कार्यो का मुल्यांकन करना होगा। उन्होनें बताया कि दिसम्बर माह में प्रदेश के 33 शहरों को खुले में शौच मुक्त किया जायेगा। इस कार्य के लिए सूचीबद्ध शहरों की नगरीय निकायों को यह कार्य सम्पादित करना है।

प्रमुख शासन सचिव डॉ. मनजीत सिंह ने इस अवसर पर बताया कि मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (शहरी) 16 नवम्बर, 2016 से प्रारम्भ होगा तथा 30 जून, 2017 तक पूर्ण किया जायेगा। इसी प्रकार आगामी वर्षो में 30 जून, 2018 से 30 जून, 2019 तक सभी शहरों में कार्य पूर्ण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होनें कहा कि मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (नगरीय) एक समयबद्ध अभियान है एवं इसके सफल क्रियान्विति के लिए अभियान को विभिन्न चरणों में सम्पादित किये जाने के संबंध में दिशा–निर्देश जारी किये गये है। उन्होनें बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न वित्तीय संसाधनों के अभिसरण से जल संरक्षण एवं जल भराव संरचनाओं का पुनरोद्धार कर जल संरक्षण की गतिविधियों का प्रभावी क्रियान्वयन करना जिससे वर्षा के बेकार बहते बहुमुल्य जल को प्राणी मात्र के उपयोग के लिए संरक्षित किया जा सके। अभियान में नगरवासियों एवं लाभान्वितों को जल के समुचित उपयोग के बारे में जागृत कर जन सहभागिता से कार्य सम्पादित किये जायेंगे। नगरीय क्षेत्रें में समस्त प्रकार के भवनों निजी, सरकारी आवासीय, संस्थानिक, वाणिज्यिक, औद्योगिक आदि में वर्षा जल संरक्षण के लिए रूफ टॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण करना तथा प्राकृतिक रूप से प्राप्त जल प्रवाह (वर्षा जल, सतही जल, भू गर्भीय जल एवं सिवेज/औद्योगिक अवशेष प्रवाह) के परिशोधन/पुर्नचक्रण/प्रबंधन कर पुनः उपयोग में लेने हेतु व्यवस्था की जायेगी।

प्रमुख शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग डॉ. मनजीत सिंह ने कार्यशाला में बताया कि प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 02 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक विशेष स्वच्छ नगर अभियान

चलाया जायेगा। अभियान से पूर्व 15 सितम्बर, 2016 से आमजन में जनजागृति एवं प्रचार–प्रसार के लिये स्वच्छता संबंधित होर्डिंग्स लगाये जायेंगे तथा एफ.एम. रेडियों आकाशवाणी के सभी केन्द्रों पर स्वच्छता सम्बन्धित जिंगल प्रसारित करवाये जायेगे व नुक्कड नाटकों, गोष्ठियों का आयोजन स्थानीय विद्यालयों व चौपालो मे नगरीय निकाय प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया जायेगा। अभियान में सभी नगरीय क्षेत्रें में शहर के Entry Points व मुख्य बाजारों में पड़े हुये कचरे–मलबे के ढेरों को हटाया जायेगा एवं समस्त सरकारी कार्यालयों, महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलो, बस स्टेण्डो, स्कूलों, कॉलेजो, अस्पताल इत्यादि के परिसरों में सफाई की जायेगी। उन्होनें कहा कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट हेतु प्रभावी व्यवस्था एवं प्लास्टिक कैरी बैग्स की रोकथाम/जब्त करने की कार्यवाही भी प्रभावी रूप से की जायेगी तथा राजस्थान सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत बिना स्वीकृति के लगे हुये होर्डिंग्स/विज्ञापन हटाये जावें तथा दीवारो पर लिखे हुये विज्ञापन इत्यादि की सफाई करावायी जायेगी

कार्यशाला में निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव श्री पुरूषोत्तम बियाणी ने बताया कि वर्तमान में तेज गति से बढ़ती जनसंख्या, अनियोजित शहरी विकास, कृषि में बढ़ते रासायनिक उर्वरकों का उपयोग एवं जल के बढ़ते दुरूपयोग एवं संवेदनशीलता के कारण पानी की मांग तेजी से बढ़ी है। वर्षा जल प्राकृतिक रूप से पुनर्भरण द्वारा पृथ्वी की सतह के नीचे भूजल भण्डार में नही जा पाता, जिसके परिणामस्वरूप वार्षिक भूजल पुनर्भरण समुचित मात्र में नही हो पाता है। इसके विपरीत कुंओ, नलकूपों एवं हैण्डपंपो द्वारा भूजल का अत्यधिक दोहन हो रहा है। भविष्य में सीमित जल को देखते हुए प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमती वंसुधरा राजे जी ने प्रदेश में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (नगरीय) का आगाज किया है।

वाटर शेड डवलपमेंट एवं सॉयल कंजरवेशन विभाग के निदेशक एवं मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (ग्रामीण) के निदेशक श्री अनुराग भारद्वाज ने इस अवसर पर ग्रामीण क्षेत्रें में किये गये सफलतम कार्यो के क्रियान्वयन की योजना पर तथा भूजल विभाग के भूजल वैज्ञानिक श्री विनय भारद्वाज ने बताया कि प्रदेश के 60 प्रतिशत से अधिक भाग अर्थात् प्रदेश के 248 ब्लॉक में से 174 ब्लॉक डार्क जोन में है। उन्होने रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग एवं स्टार्म वाटर हार्वेस्टिंग पर जोर देते हुए कहा कि इनके निर्माण से ही भूजल रिजार्च होगा। उन्होनें बतया कि वर्षा के दौरान सरफेस पर बहने वाले पानी का 10 प्रतिशत ही भूजल को रिचार्ज करता है। वरिष्ठ नगर नियोजक श्री राजेन्द्र विजयवर्गीय ने बताया कि अनियोजित नगरीयकरण एवं अनियोजित विकास के कारण भूजल का अतिदोहन हुआ है। जिसके फलस्वरूप डार्क जोन विकसित हुआ है। उन्होने बताया कि नगर नियोजन एक परम्परा है, इसी के तहत जयपुर शहर का निर्माण हुआ है। जयपुर शहर का निर्माण पानी के संरक्षण के लिए कटोरानुमा किया गया है तथा यहॉ पर स्थान पर कुऍ, कोठियों का निर्माण किया गया है।

कार्यशाला में निदेशक श्री पुरूषोत्तम बियाणी ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत सर्वेक्षण का कार्य जनवरी माह मे होगा। उन्होनें निर्देश दिये कि सभी नगरीय निकायों में घरेलू शौचालय, सामुदायिक शौचालय तथा सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण तीव्र गति से किया जाये। उन्होनें बताया दिसम्बर माह में प्रदेश के 33 शहरों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया जायेगा। इसके लिए निर्धारित शहरों को पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना होगा। मुख्य अभियन्ता श्री के.के. शर्मा ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत अब तक किये गये कार्यो की समीक्षा की तथा आवश्यक निर्देश दिये एवं 02 अक्टूबर से 28 अक्टूबर, 2016 तक चलने वाले स्वच्छ नगर अभियान की जानकारी दी। कार्यशाला का आयोजन सिटी मैनेजर्स एसोसिएशन राजस्थान द्वारा किया गया था।

स्वायत्त शासन विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के मध्य कन्वरजेन्स कार्यशाला का आयोजन

02 अक्टूबर, 2016 को स्वच्छ भारत मिशन की द्वितीय वर्षगांठ के अवसर पर स्वायत्त शासन विभाग एव स्वास्थ्य विभाग में आपसी सामन्जस्य स्थापित करने के लिए CMAR एवं CFAR द्वारा संयुक्त रूप से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। स्थानीय स्तर पर स्वच्छ भारत मिशन की सफल क्रियान्विति में स्वास्थ्य विभाग की सहभागिता बढाये जाने पर महिला आरोग्य समिति (MAS) द्वारा सहभागिता, आने वाली चुनौतियों एवं मुददों पर चर्चा की गई।

कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए श्री पुरूषोत्तम बियानी निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव स्वायत्त शासन विभाग की ओर से दोनों विभागों के मध्य Convergence करने के मुददों पर चर्चा करते हुए बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्थानीय स्तर पर गठित महिला आरोग्य समितियां कच्ची बस्तियों में स्वास्थ्य व स्वच्छता पर सामुदायिक जागरूकता हेतु कार्य कर रही है। अतः इनको स्वच्छ भारत मिशन की बेहतर क्रियान्विति हेतु सहयोग लिया जा सकता है।

स्वास्थ्य विभाग की स्टेट कन्सलटेन्ट सुश्री शिखा ने जानकारी दी की स्वास्थ्य विभाग की ओर से सम्पूर्ण राजस्थान में 4708 महिला आरोग्य समितियों का गठन किया गया है। शहरों की कच्ची बस्तियों में 100 घरों पर 10 से 12 महिलाओं के समूह में एक महिला आरोग्य समिति कार्यरत है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी महिला आरोग्य समितियों (MAS) की कार्य प्रणाली एवं स्वास्थ्य मुददों पर आमुखीकरण किया गया है। सभी महिला आरोग्य समितियों को बैंक से Link कराकर उनके खाते में 5000 रूपये Untide Fund जमा कराया गया है। समितियां इस Fund को मासिक बैठको के आयोजन एवं संचालन के लिए खर्च कर सकती है। प्रत्येक महिला आरोग्य समिति में समुदाय की एक एक्टिव महिला को अध्यक्ष एवं

आशा कार्यकर्ता को सचिव बनाया गया है। बैंक खाते में से दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर से राशि को निकाला जा सकता है। चर्चा के दौरान निदेशक स्वायत्त शासन ने सुझाव दिया कि महिला आरोग्य समितियों की होने वाली मासिक बैठकों में शहरी निकाय के सफाई निरीक्षक एवं सुपवाईज़र की सहभागिता समुदाय स्तर के मुददें जैसे साफ–सफाई, शौचालय, कचरा संग्रहण, आदि मुद्दो पर सहयोग लिया जा सकता है जिससे समुदाय स्तर पर ही समस्याओं का समाधान संभव हो पाये।

स्वच्छ भारत मिशन के कार्य प्रणाली एवं उद्देश्यों पर महिला आरोग्य समितियों के सदस्यों का आमुखीकरण किया जाना प्रस्तावित है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला स्तर या शहरी स्तर पर गठित महिला आरोग्य समितियों की सूची को स्वच्छ भारत मिशन के तहत आमुखीकरण हेतु स्वायत्त शासन विभाग को दी जायेगी। स्वायत्त शासन विभाग द्वारा स्वास्थ्य विभाग को सफाई निरीक्षकों की सूची उपलब्ध करायी जायेगी तथा सभी सफाई निरीक्षकों को पब्लिक हैल्थ मेनेज़र से समन्वय स्थापित करने एवं महिला आरोग्य समितियों की बैठकों में उपस्थित रहने के लिए निर्देशित किया जायेगा। महिला आरोग्य समितियों की बैठकों में सफाई निरीक्षकों द्वारा महिलाओं को स्वच्छ भारत मिशन के मुददों एवं ''खुले में शौच'' रोकने के लिए आमुखीकरण किया जायेगा। स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत प्रथमतः 50 महिला आरोग्य समितियों को स्वच्छता दूत के रूप में नामांकित करते हुये किया जा सकता है तथा स्वच्छता दूत को निर्धारित मानको के आधारों पर 5000 रूपये की पुरूस्कार राशि दी जा सकती है। स्वच्छ नगर अभियान की श्रृंखला में 19 नवम्बर विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर साप्ताहिक अभियान 13 नवम्बर से 19 नवम्बर तक ''स्वच्छता शपथ संकल्प दिवस'' के रूप में सम्पन्न किया जायेगा। जिसकी रूपरेखा आगामी दिनों में तय की जाएगी।

Our Partners

National Institute of Urban Affairs

USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

ICMA
International City/Country Management Association

USAEP
United States-Asia Environmental Partnership

CMAR

City Managers' Association Rajasthan, Room No. 410, Directorate of Local Bodies
G-3 Rajmahal Residency, Near Civil Lines, Railway Crossing, Jaipur - 302015,
Telefax: 0141-2229966
website: www.cmar-india.org
Email: cmar.rajasthan@gmail.com

Electronic version of this newsletter is also available on CMAR's website at: http://cmar-india.org/